बिहार सरकार
<u>ऊर्जा विभाग</u>

पत्रांक – प्र02/बोर्ड पुर्न0 सं0–31/2008 पटना, दिनांक – ________

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का कंपनी एक्ट, 1956 के अनुसार पुनर्गठित नई पाँच कंपनियों के निदेशक मंडल के गठन एवं कम्पनियों के शेयरों को शेयरधारकों में आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुपालन में ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 999 दिनांक 06.03.2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन हेतु कम्पनी एक्ट, 1956 के तहत् पूर्व में पंजीकृत निम्न पांच कम्पनियों को बन्द कर निम्नलिखित नई पांच कम्पनियों के पंजीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बन्द करने वाली कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	नई कंपनी का नाम एवं मुख्यालय
बिहार राज्य विद्युत कंपनी लि0, पटना	बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0, पटना
बिहार राज्य संचरण कंपनी लि0, पटना	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना
बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि0, पटना	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना
दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना
उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना

(2) राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठित नई पांच कम्पनियों को पूर्व में पंजीकृत पांच कम्पनियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को रखने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार ऊर्जा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (No objection certificate) दी जाती है।

(3) पूर्व में पंजीकृत पांच कम्पनियों, यथा बिहार राज्य विद्युत कंपनी लि0, पटना, बिहार राज्य संचरण कंपनी लि0, पटना, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि0, पटना, दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना एवं उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना को भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India) के प्रावधानों के तहत बंद की जाए।

लगातार .....

(4) नई कम्पनियों के पंजीकरण हेतु निदेशक मंडल का गठन एवं शेयरधारक बनाने की कार्रवाई करने की स्वीकृति एवं होल्डिंग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये, संचरण कम्पनी का अधिकृत पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा दो वितरण कम्पनियों का अधिकृत पूजी 500–500 करोड़ रुपये प्रति कम्पनी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(5) मेसर्स पी0एफ0सी0 कंसल्टिंग लि0, नई दिल्ली द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का कंपनी एक्ट, 1956 के अनुसार पुनर्गठित पाँच कंपनियों के प्रथम निदेशक मंडल की संरचना के संदर्भ मे परामर्श समर्पित किया गया है, जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त विभिन्न कम्पनियों के प्रथम निदेशक मंडल को निम्नप्रकार गठित की जाती है :–

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 पटना

(i)	श्री रामेश्वर सिंह	–प्रधान सचिव (वित्त), बिहार, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(ii)	श्री अजय नायक	–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(iii)	श्री प्रभात कुमार राय	–अध्यक्ष, बि0रा0वि0बोर्ड, बिहार, पटना	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(iv)	श्री राणा अवधेश कुमार	–सदस्य(प्रशासन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
(v)	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	–सदस्य(वि0एवंरा0), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)
(vi)	श्री ललन प्रसाद	–सदस्य(उत्पादन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(vii)	श्री टुनटुन झा	–सदस्य(संचरण), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 पटना

(i)	श्री अजय नायक	–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(ii)	श्री प्रभात कुमार राय	–अध्यक्ष, बि0रा0वि0बोर्ड, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(iii)	श्री राणा अवधेश कुमार	–सदस्य(प्रशासन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(iv)	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	–सदस्य(वि0एवंरा0), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(v)	श्री ललन प्रसाद	–सदस्य(उत्पादन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(vi)	श्री टुनटुन झा	–सदस्य(संचरण), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	प्रबंध निदेशक

बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 पटना

(i)	श्री अजय नायक	–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(ii)	श्री प्रभात कुमार राय	–अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(iii)	श्री राणा अवधेश कुमार	–सदस्य(प्रशासन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(iv)	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	–सदस्य(वि0 एवं रा0),बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(v)	श्री ललन प्रसाद	–सदस्य(उत्पादन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	प्रबंध निदेशक
(vi)	श्री टुनटुन झा	–सदस्य(संचरण), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 पटना

(i)	श्री अजय नायक	–प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(ii)	श्री प्रभात कुमार राय	–अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार, पटना	अध्यक्ष
(iii)	श्री राणा अवधेश कुमार	–सदस्य(प्रशासन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	प्रबंध निदेशक
(iv)	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	–सदस्य(वि0 एवं रा0), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(v)	श्री ललन प्रसाद	–सदस्य(उत्पादन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)
(vi)	श्री टुनटुन झा	–सदस्य(संचरण), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना	निदेशक (अंशकालीक)

लगातार........

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 पटना

(i) श्री अजय नायक —प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना निदेशक (अंशकालीक)
(ii)श्री प्रभात कुमार राय —अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार, पटना अध्यक्ष
(iii) श्री राणा अवधेश कुमार —सदस्य(प्रशासन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना निदेशक (अंशकालीक)
(iv)श्री विनायक चन्द्र गुप्ता —सदस्य(वित्त एवं राजस्व), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना प्रबंध निदेशक
(v) श्री ललन प्रसाद —सदस्य(उत्पादन), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना निदेशक (अंशकालीक)
(vi) श्री टुनटुन झा —सदस्य(संचरण), बि0रा0वि0बोर्ड, पटना निदेशक (अंशकालीक)

(6) होल्डिंग कम्पनी में एक पूर्णकालिक निदेशक (वाणिज्य एवं तकनीकि) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन/खोज समिति के अनुशंसा पर बाद में की जाएगी। सहायक कम्पनियों के निदेशक मंडल को भी ट्राजिसजन फेज के दौरान विस्तारित कर तीन नए पूर्णकालिक निदेशक यथा पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), पूर्णकालिक निदेशक (वित्त एवं लेखा) तथा पूर्णकालिक निदेशक (प्रोजेक्ट एवं तकनीकि) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन/खोज समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। पूर्णकालिक निदेशक की योग्यता एवं अनुभव के संदर्भ में विस्तृत आदेश निर्गत की जाएगी। चयन/खोज समिति का गठन भी अलग से की जाएगी।

(7) सहायक कम्पनियों के प्रबंध निदेशक अन्य सहायक कम्पनियों में निदेशक होंगे। इसके अतिरिक्त होल्डिंग कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अन्य सहायक कम्पनियों के अध्यक्ष होंगे।

(8) कम्पनियों के प्रति शेयर का मूल्य 10 (दस) रूपये निर्धारित किया जायेगा।

(9) नई कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद यदि कम्पनियों के अधिकृत पूँजी में सरकार कोई परिवर्तन करती है तो तदनुसार पूँजी की राशि में संशोधन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/कम्पनियॉ करा लेंगी।

(10) पुर्नगठित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नवनिर्मित पांच कम्पनियों यथा एक होल्डिंग कम्पनी और चार सहायक कम्पनी हेतु निम्नलिखित शेयरधारक /अंशदाता होंगे।

(क) बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0 पटना –

1. अधिकृत पूंजी – 2000 करोड़ रुपये
2. अंशदायी एवं प्रदत्त पूंजी – 11 करोड़ रुपये

	शेयरधारक/अंशदाता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1	राज्यपाल, बिहार द्वारा प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	1,09,99,400	99.994
2	श्री अजय नायक, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	100	0.001
3	श्री रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	100	0.001
4	श्री संजीवन सिन्हा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	100	0.001
5	श्री मिहिर कुमार सिंह, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार सरकार	100	0.001
6	श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव/सचिव, योजना विभाग, बिहार सरकार	100	0.001
7	श्री राजेश भूषण, प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार सरकार	100	0.001
	कुल :	1,10,00,000	100

(ख) बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना –

1. अधिकृत पूंजी – 350 करोड़ रुपये

2. अंशदायी एवं प्रदत्त पूंजी – 2 करोड़ रुपये

	शेयरधारक / अंशदाता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 पटना	19,99,400	99.97
2	श्री अजय नायक, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, नामित बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0.	100	0.005
3	श्री प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेश, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
4	श्री राणा अवधेश कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
5	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
6	श्री ललन प्रसाद, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
7	श्री टुनटुन झा, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
	कुल :	20,00,000	100

(ग) बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना, –

1. अधिकृत पूंजी – 500 करोड़ रुपये

2. अंशदायी एवं प्रदत्त पूंजी – 2.10 करोड़ रुपये

	शेयरधारक / अंशदाता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0 पटना	20,99,400	99.97
2	श्री अजय नायक, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, नामित बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0.	100	0.005
3	श्री प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेश, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
4	श्री राणा अवधेश कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
5	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
6	श्री ललन प्रसाद, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
7	श्री टुनटुन झा, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
	कुल :	21,00,000	100

(घ) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना –

1. अधिकृत पूंजी – 500 करोड़ रुपये

2. अंशदायी एवं प्रदत्त पूंजी – 2.10 करोड़ रुपये

	शेयरधारक/अंशदाता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0 पटना	20,99,400	99.97
2	श्री अजय नायक, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, नामित बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0.	100	0.005
3	श्री प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेश, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
4	श्री राणा अवधेश कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
5	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
6	श्री ललन प्रसाद, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
7	श्री टुनटुन झा, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
	कुल :	21,00,000	100

(ङ) नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना –

1. अधिकृत पूंजी – 500 करोड़ रुपये

2. अंशदायी एवं प्रदत्त पूंजी – 2.10 करोड़ रुपये

	शेयरधारक/अंशदाता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0 पटना	20,99,400	99.97
2	श्री अजय नायक, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, नामित बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0.	100	0.005
3	श्री प्रभात कुमार राय, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेश, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
4	श्री राणा अवधेश कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
5	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
6	श्री ललन प्रसाद, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
7	श्री टुनटुन झा, निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0	100	0.005
	कुल :	21,00,000	100

(3) पूर्व में निर्गत राज्यादेश संख्या 3776 दिनांक 24.08.2011 को यथा उपर्युक्त संशोधित समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/3/12

(शम्भु नाथ मिश्र)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1436 दिनांक 29/3/12

प्रतिलिपि सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी निदेशक/सभी शेयरधारक/अंशदाता/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/12

(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

(224

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
<u>संकल्प</u>

संख्या :– प्र2/बोर्ड पुर्न0 सं0–31/2008 999 दिनांक 6/3/12

विषयः **विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कंपनी एक्ट, 1956 के तहत् पूर्व में पंजीकृत पाँच कम्पनियों को बन्द करने एवं इनके बदले नये नाम से पाँच कम्पनियों के पंजीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

दिनांक 16.12.2010 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा ऊर्जा विभाग, बिहार से संबंधित कार्य के लिए समीक्षा के क्रम में यह मत गठित हुआ कि ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 3056 दिनांक 2 अगस्त, 2006 (सह पठित ऊर्जा विभाग की संकल्प संख्या 218 दिनांक 31 जनवरी, 2006 एवं 733 दिनांक 7 मार्च, 2006) द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर आठ कंपनियों में विभक्त करने के निर्णय को संशोधित कर वितरण कार्य हेतु बनाये गए पांच कंपनियों के बदले मात्र दो कंपनी (उत्तर एवं दक्षिण बिहार के लिए) का ही गठन किया जाए। तदनुसार ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3698 दिनांक 18.08.2011 द्वारा पूर्व में विद्युत वितरण कार्य हेतु बनाये गए पाँच कम्पनियों में तीन कम्पनियों को बंद करते हुए शेष पाँच कम्पनियों के संचालन का निर्णय लिया गया ।

2. मेसर्स पी0एफ0सी0 कन्सल्टिंग लि0, नई दिल्ली जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा परामर्शी नियुक्त किया गया है, के द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों जिनके द्वारा कम्पनी अधिनियम के कई प्रावधानों का अनुपालन लंबित है, का अविलंब संचालन संभव नहीं है। उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि उक्त पाँच कम्पनियों को भी बन्द कर बोर्ड के पुनर्गठन के लिए अलग से पाँच नई कम्पनियाँ भिन्न नाम से पंजीकृत करायी जाए एवं होल्डिग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये, संचरण कम्पनी की अधिकृत पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों की अधिकृत पूजी 500 करोड़ रुपये प्रत्येक कम्पनियों के लिए रखी जाए।

3. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :–

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कंपनी एक्ट, 1956 के तहत् पूर्व में पंजीकृत निम्न पाँच कम्पनियों को बन्द करने एवं इनके बदले नये नाम से पाँच कम्पनियों के पंजीकरण करने की कार्रवाई की जाय।

बन्द करने वाली कंपनी का नाम एवं मुख्यालय	**नई कंपनी का नाम एवं मुख्यालय**
बिहार राज्य विद्युत कंपनी लि0, पटना	बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0, पटना
बिहार राज्य संचरण कंपनी लि0, पटना	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना
बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि0, पटना	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना
दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना
उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी लि0, पटना	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना

कृ0पृ0ऊ0.........

(ii) नई कम्पनियों के प्रस्तावित नाम पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों के नाम का अंग्रेजी संस्करण है, जिसकी उपलब्धता पूर्व में पंजीकृत कम्पनियों के प्रोमोटर (राज्य सरकार) द्वारा No objection Certificate निर्गत करने के पश्चात् रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्राप्त होगा। No objection Certificate निर्गत करने हेतु ऊर्जा विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

(iii) नई कंपनियों के पंजीकरण हेतु निदेशक मंडल का गठन एवं शेयरधारक बनाने की कार्रवाई की जाए। होल्डिंग कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपये, संचरण कम्पनी का अधिकृत पूंजी 350 करोड़ रुपये एवं उत्पादन तथा दो वितरण कम्पनियों का अधिकृत पूजी 500–500 करोड़ रुपये प्रति कम्पनी रखी जाए। इस संबंध में पूर्व में निर्गत राज्यादेश संख्या 3776 दिनांक 24.08.2011 को संशोधित किया जाए।

(iv) रजिस्ट्रेशन फीस की राशि कुल रु0 9,76,27,000/– का भुगतान, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को गैर योजना मद में दी गई 380 करोड़ रुपये की राशि में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(v) ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 3698 दिनांक 18.08.2011 को उपर्युक्त के अनुरूप संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड पुर्न0 सं0–31/2008 दिनांक ________

प्रतिलिपि उप सचिव, प्रेस (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में मुद्रण हेतु(सी०डी० एवं दो हार्ड प्रति के साथ) प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 100(एक सौ) प्रतियॉ ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड पुर्न0 सं0–31/2008 999 दिनांक 6/3/12

प्रतिलिपि सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/12
(शम्भु नाथ मिश्र)
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग
6/3/12